



# अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ०प्र० Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow, U.P.

## कार्यालय आदेश

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ० प्र०, लखनऊ के मा० कार्यपरिषद की तृतीय बैठक दिनांक 12.03.2022 को मद संख्या 03/13 में "विश्वविद्यालय में सम्बद्धता प्रक्रिया में संस्थाओं द्वारा अपेक्षित प्रति संस्था बैंक गारन्टी रु० 40,00,000/- (रु० चालीस लाख मात्र) के अनुसार लिये जाने का विनिश्चय किया गया।, जिसका विवरण निम्नवत् है-

### • प्रति संस्था बैंक गारन्टी - रु०-40,00,000.00

मा० कार्यपरिषद के निर्णय / अनुमोदन के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि प्रति संस्थान एक बैंक गारन्टी रु० 40,00,000/- (रुपये चालीस लाख मात्र) जो रजिस्ट्रार, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ० प्र०, लखनऊ के पक्ष में देय हो, जमा करना सुनिश्चित करें।


६०  
(प्रोफे० ए०के० सिंह)  
कुलपति

पत्रांक.....1179.....कार्यपरिषद-III / ABVMU / 2022

लखनऊ: दिनांक 23/5/22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ० प्र०, लखनऊ।
2. प्रधानाचार्य/निदेशक, समस्त संस्थान सम्बद्ध अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ० प्र०।
3. वित्त अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ० प्र०, लखनऊ।
4. लेखाकार/सहायक लेखाकार, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ० प्र०, लखनऊ।
5. सम्बन्धित अनुभाग, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ० प्र०, लखनऊ।
6. विश्वविद्यालय की वेब साईट पर प्रदर्शन हेतु।
7. गार्ड फाईल।

  
(उदय सिंह) 23/5/22  
रजिस्ट्रार